न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 162/2017 (उदयपुर डिक्री)

हरजीलाल पिता स्वर्गीय माणा जी, जाति डांगी, निवासी लकड़वास सेजों की भागल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. डालू पिता नग जी (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती वरदीबाई उर्फ उदीबाई पुत्री स्व. डालू जी पत्नी मोहनलाल डांगी, निवासी कलड़वास सेजों की भागल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

2. देवीलाल पिता स्वर्गीय माणा जी, जाति डांगी, निवासी लकड़वास सेजों की भागल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 10.06.2017, प्र.सं. 162/14

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 3

———/———

निर्णय **दिनांक 21–09–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोटा देवरा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' में वर्णित कुल किता 19 रकबा 2.6200 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें उंकार पिता नंगा जी का 1/24 वां हिस्सा है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ख'' में वर्णित कुल किता 20 रकबा 1.0950 हैक्टर में उंकार पिता नंगा जी का 1/24 वां हिस्सा है। परिशिष्ट ''ग'' में वर्णित कुल किता 4 रकबा 0.2800 हैक्टर में उंकार पिता नंगा जी का 1/6 वां हिस्सा है। परिशिष्ट ''घ'' में वर्णित कुल किता 7 रकबा 0.8250 हैक्टर में उंकार पिता नंगा जी का 1/6 वां हिस्सा है। परिशिष्ट ''ड.'' में वर्णित आराजी नं. 4 कुल किता 1 रकबा 0.0500 हैक्टर में

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:42:55 IST
Reason: SelfAttested

उंकार पिता नंगा जी का 1/6 वां हिस्सा है। उंकार जी का निधन दिनांक 28–12–2013 को हो चुका है, जो आजीवन अविवाहित रहे एवं उनके कोई संतान नहीं है। उंकार जी शुरू से ही अपने भाई माणा जी के साथ रहते थे तथा उनके निधन के बाद वादी हरलाल जी के साथ रहते थे। पक्षकारान का सजरा निम्नानुसार है :–

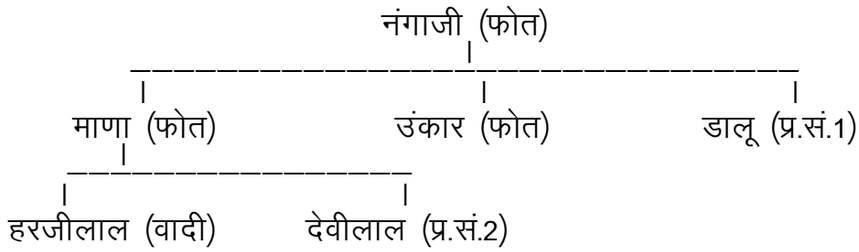

मृतक उंकार जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 13–05–2013 को अपनी स्वेच्छा से एक वसीयत वादी हजारीलाल के पक्ष में निष्पादित कर वादग्रस्त आराजियात में अपना सम्पूर्ण हिस्सा चल–अचल सम्पत्ति के साथ दे दिया, तब से वादी उक्त आराजियात का मालिक काबिज है, जिससे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः निवेदन किया कि वाद पत्र की कमल संख्या 1 वर्णित उपरोक्त परिशिष्टों में उंकार जी के हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 10–06–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 22–09–2017 को हुई। जानकारी होते ही नकलें प्राप्त कर अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:42:55 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि बिना सहमति के प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने निर्णय पारित कर दिया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। खातेदार उंकार जी द्वारा दिनांक 13–05–2013 को अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गयी है, जिसे अपीलान्ट/वादी से साक्ष्यों से साबित कराया है। उत्तराधिकार अधिनियम 1963 की धारा 63 अनुसार वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत अनरजिस्टर्ड होने के आधार पर वाद खारिज कर दिया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे एवं अपील अपीलान्ट का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के अभिभाषक ने बताया कि वसीयत अनरजिस्टर्ड एवं नोटरी शुदा नहीं होने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। वसीयत अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प्ड है तथा नोटरी से भी प्रमाणित नहीं है तथा मौतबीरानों ने वसीयत को विवादित बताया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वसीयत को सक्षम न्यायालय से साबित कराये बिना वादी का वाद चलने योग्य होना नहीं मानते हुए खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–06–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 21–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:42:55 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम.एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

हरजीलाल पिता स्व. माणा जी डांगी, निवासी लकड़वास सेजों की भागल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **डालू मृतक के बजाय श्रीमती वरदीबाई पुत्री स्व. डालू पत्नी मोहनलाल डांगी, निवासी कलड़वास सेजों की भागल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**162/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**10**.....माह.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**.....माह.....**09**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भूरालाल डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री कमलेश चौहान**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये.....**X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**09**.....**2021** को जारी किया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:42:55 IST
Reason: SelfAttested